भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4942
23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजनाएं

4942. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री नारणभाई काछड़िया:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु लागू की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को गुजरात और अन्य राज्यों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित योजनाओं को लागू करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में महाराष्ट्र सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन योजना लागू या प्रस्तावित की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम/संभावित परिणाम क्या रहा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस संबंध में कोई योजना तैयार किये जाने की संभावना है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों समेत पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना; (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन; (v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार; (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना एवं (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम घटकों के साथ केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रैला स्कीम – प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है ।

मंत्रालय, टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) फसलों की मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा राज्यों जिनमें गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य भी शामिल हैं, में नवम्बर, 2018 से पीएमकेएसवाई के वर्टिकल के रुप में ''ऑपरेशन ग्रीन्स'' स्कीम भी चला रहा है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किन्हीं भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना स्वयं नहीं करता है । यह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान सहायता के रुप में व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारिताओं, समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कम्पनियों तथा केन्द्र/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । ये स्कीमें मांग प्रेरित हैं । मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में पात्र आवेदकों को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों समेत राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण **संलग्नक** में दिया गया है ।

(ग) और (घ): जी, नहीं ।

*****

लग्नक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजनाओं के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.4942 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पिछले तीन वर्षों(2016-17 से 2018-19) के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या (गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों समेत) तथा उन्हें जारी की गई अनुदान सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**एमएफपी**		**शीत श्रृंखला**		**यूनिट स्कीम**		**कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर्स**	**बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज**			**ऑपरेशन ग्रीन्स**	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**जारी की गई अनुदान सहायता**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	1	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	17	23.22	0	0	1	0	1	0	1	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	5.28	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	2	4.39	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	1	4.92	0	0	1	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	2	2.5	0	0	1	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	1	15	11	48.84	15	3.45	3	0	7	0	1	0
9	हरियाणा	1	0	5	14.39	14	2.61	5	3.39	1	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	6	10	79.47	11	1.5	1	0	2	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	2	4.11	13	2.67	1	0	2	0.32	0	0
12	कर्नाटक	1	15.00	9	21.45	11	2.5	5	0	2	3.12	0	0
13	केरल	0	0	6	4.32	4	4.6	1	0	2	1.25	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	2	0	8	5	5	0	1	0	0	0
15	महाराष्ट्र	0	0	40	93.23	28	8.47	6	19.5	12	3.52	0	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	1	0.68	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	29.78	2	5.28	4	7.44	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0.00	1	10	2	7.5	0	0	2	0	0	0
21	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	8	19.5	4	5	3	0	4	2.62	0	0
23	राजस्थान	0	0	6	27.11	8	7.39	1	0	6	1.97	0	0
24	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	8	19.93	18	18.44	0	0	9	0.83	0	0
26	तेलंगाना	0	0	6	10.8	1	0	1	0	1	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	2	0	17	57.64	18	100.73	2	3.5	4	0.19	0	0
28	उत्तराखंड	0	0	10	24.46	6	0	1	0	2	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	3	8.27	6	0	0	0	1	0	0	0
	कुल	**7**	**65.78**	**166**	**482.99**	**180**	**184.87**	**39**	**26.39**	**61**	**13.82**	**2**	**0**